कार्यालय वित्त नियंत्रक
गो0ब0 पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पन्तनगर

पत्रांक/नियंत्रक/अग्रिम आहरण/1224 दिनांक, अक्टूबर 16 2014

समस्त अधिष्ठाता/निदेशक/विभागाध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी

प्रायः ऐसा देखने में आ रहा है कि विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों द्वारा जो अग्रिम आहरण प्रपत्र भेजे जाते हैं उनमें अग्रिम आहरण करने वाले का पदनाम अंकित किया जाता है, जिसमें अग्रिम आहरण उपरान्त उनके समायोजन में कठिनाई आ रही है। क्योंकि जिस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा पदनाम से अग्रिमों का आहरण किया गया है वह या तो अन्य विभाग में स्थानान्तरित हो गये हैं अथवा सेवा निवृत्त हो गये हैं और उनके द्वारा आहरित किये गये अग्रिमों का समायोजन लम्बित रह जाता है ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति विशेष का दायित्व निर्धारण करने में कठिनाई होती है।

सम्यक विचारोपरान्त सक्षम अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया है कि अग्रिम आहरण का प्रस्ताव एवं आवेदन करते समय अग्रिम आहरण करने वाले अधिकारी/शिक्षक/कर्मचारी का नाम व पदनाम अंकित किया जाय। अन्यथा की स्थिति में अग्रिम दिया जाना सम्भव नहीं होगा। साथ ही अदेयता प्रमाण पत्र देने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा अपने कार्यकाल में लिये गये अग्रिमों का शत् प्रतिशत् समायोजन करा दिया गया है।

वित्त नियंत्रक

प्रतिलिपिः–

1. उपनियंत्रक (बजट) को इस आदेश के साथ कि अग्रिम आहरण हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले प्रस्तावों को प्रस्तुत करने से पूर्व उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
2. उपनियंत्रक, भुगतान/लेखाधिकारी, भुगतान को इस आदेश के साथ कि अदेयता प्रमाण–पत्र निर्गत करने से पूर्व उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
3. कुलपति जी के विशेष कार्याधिकारी को कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।

G.B. Pant Univ. of Ag. & Tech.
Store Purchase Section
Receipt No. 566
Dated 21-X-2014
Pantnagar (Uttarakhand) U.P.

AAO/Acctt

कार्यालय नियन्त्रक

गोबिन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,

पन्तनगर, जिला-- ऊधमसिंह नगर

पत्रांक : वि0नि0 / बजट / अधिप्राप्ति / 292 / 902 दिनांक 21 मई, 2015

कार्यालय ज्ञाप

कुलपति महोदय द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार विश्वविद्यालय में उपकरणों की अधिप्राप्ति पक्रिया को अधिकतम पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक बनाये जाने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालयों / विभागों में अधिप्राप्त किये जाने वाले उपकरण / उपकरणों के क्रय से पूर्व निम्नांकित बिन्दु के अनुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है :-

1. उपकरणों के क्रय के समय अधिप्राप्ति नियमावली-2008 के सामान्य प्राविधानों का पालन किया जाये एवं शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत तद्सम्बन्धी शासनादेशों के अनुरूप कार्यवाही की जानी होगी।

2. जटिल प्रकृति एवं मंहगें उपकरणों के क्रय हेतु अधिप्राप्ति नियमावली-2008 के अध्याय-2 प्रस्तर--24(2) बिन्दु--vi एवं vii में वर्णित व्यवस्था अपनायी जायेगी। जिसके अन्तर्गत विशिष्टियों के निर्धारण एवं प्री--बिड की व्यवस्था की गई है।

3. विभागों द्वारा किए जा रहे अनुसंधानों की प्रकृति के अनुसार अधिष्ठाता / निदेशक से स्वीकृति प्राप्त कर उच्चस्तरीय तकनीकी समिति विशिष्टियों (Specification) के निर्धारण के लिए बनायी जाये। जिसमें इन्डेंटर संयोजक सदस्य के रूप में सम्मिलित रहेगा। समिति के अन्य सदस्यों में यथासम्भव वे ही सदस्य नामित किये जायें, जिन्हें उपकरण विशेष के सम्बन्ध में समुचित तकनीकी ज्ञान हो एवं उन्हें उपकरण विशेष पर कार्य का अनुभव भी हो। ऐसे सदस्य विश्वविद्यालय के अन्य महाविद्यालयों से भी सम्बन्धित हो सकते है।

उपकरणों की विशिष्टियॉ (Specifications) निर्धारित करते समय बाजार में उपलब्ध उपकरणों के सम्यक् अध्ययन (Internet and Journals आदि का उपयोग कर) उपरांत प्रयोगशाला की आवश्यकता अनुसार विशिष्टियों का निर्धारण इस प्रकार किया जाये, जिससे उपकरणों के क्रय हेतु अधिकाधिक प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त हो सके।

4. ₹ 5 लाख से कम मूल्य के उपकरणों (इक्यूपमेंटस्) की विशिष्टियॉ अधिप्राप्ति प्रक्रिया प्रारम्भ करने से पूर्व, निर्धारित किये जाने हेतु सम्बन्धित महाविद्यालय के अधिष्ठाता / सम्बन्धित विभाग के निदेशक / प्रभारी अधिकारी द्वारा अपने विभाग के 3 संकाय सदस्यों / अधिकारियों की समिति गठित की जायेगी, जो उपकरण की विशिष्टियॉ (Specifications) निर्धारित करेगी। इस समिति में इन्डेटर के अतिरिक्त एक विषय विशेषज्ञ को अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाना होगा, जिसको अधिष्ठाता / निदेशक स्तर से नामित किया जाएगा। यह विषय विशेषज्ञ सम्बन्धित अधिष्ठान से बाहर का भी हो सकता है।

5. इंडेंटर द्वारा क्रय हेतु प्रस्तावित उपकरण की मॉग / विशिष्टियों के निर्धारण करने हेतु प्रस्ताव देते समय इस बात का भी स्पष्ट उल्लेख किया जाना होगा कि सम्बन्धित उपकरण विभाग / महाविद्यालय में पहले से उपलब्ध नहीं है। यदि विभाग / महाविद्यालय में पूर्व में सम्बन्धित उपकरण प्रयोग में है तो उस दशा में समान प्रकृति का अतिरिक्त उपकरण क्रय किए जाने का औचित्य स्पष्ट करना होगा। प्रस्तावित उपकरण को रखने एवं संचालित करने हेतु पर्याप्त स्थान एवं जल, विद्युत एवं अपशिष्ट निकासी की सुविधा उपलब्ध है, यह भी सुनिश्चित किया जाना होगा।

5 (अ). प्रत्येक विभाग में पूर्व में क्रय किए गए उपकरणों की लॉगबुक अद्यावधिक रखी जाए तथा यथासम्भव उपकरणों के वार्षिक अनुरक्षण (ए0एम0सी0) की व्यवस्था भी सुनिश्चित कर ली जाए।

5 (ब). विशिष्टियॉ निर्धारण हेतु गठित समिति द्वारा जो भी संस्तुति दी जायेगी उनका अनुमोदन सक्षम स्तर (कुलपति जी) से प्राप्त किया जायेगा।

6. सफल न्यूनतम निविदादाता (L-1) से निविदा में अंकित मूल्य के सम्बन्ध में यदि कोई Negotiation अपेक्षित हो तो वह केन्द्रीय क्रय समिति के स्तर से किया जाएगा।

7. प्रतिस्पर्धा एवं पारदर्शिता के दृष्टि से विज्ञापित निविदा पृच्छा (Open Tender) के माध्यम से ही उपकरणों का क्रय/निर्माण कार्य किया जाये। जो फर्मे विश्वविद्यालय में पंजीकृत है उन्हें ₹ 3 लाख तक की सामाग्री/उपकरण की आपूर्तियों पर धरोहर राशि जमा करने से नियमानुसार पूर्ववत् छूट प्रदान की जाती रहेगी। विज्ञप्ति का प्रकाशन विश्वविद्यालय की वैबसाइड पर किया जायेगा तथा पंजीकृत फर्मो को डाक/ई–मेल से भी सूचित किया जायेगा।

8. निविदा प्रपत्र में वार्षिक अनुरक्षण (A.M.C.) का प्राविधान अवश्य रखा जाये तथा निविदा के वित्तीय भाव पत्र में उपकरण का मूल्य 3 वर्ष की ए0एम0सी0 को शामिल करते हुये अंकित किया जाये। यह अवधि उपकरण की वारंटी अवधि के उपरान्त से ही गणना में ली जायेगी।

अतः आपसे अपेक्षा है कि उपकरणों के क्रय एवं निर्माण कार्यो की प्रक्रिया प्रारम्भ करते समय उपरोक्तानुसार दिये गये निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से किया जाना सुनिश्चित करें।

(पंकज तिवारी)
नियन्त्रक

प्रतिलिपि :–

1. समस्त अधिष्ठाता/निदेशक/विभागाध्यक्षों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. अध्यक्ष, केन्द्रीय क्रय समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. कुलपति जी के विशेष कार्याधिकारी को कुलपति जी के संज्ञानार्थ।

(पंकज तिवारी)
नियन्त्रक 21/7/15

कार्यालय नियंत्रक
गो0ब0 पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर–263145
जिला– ऊधमसिंह नगर, (उत्तराखण्ड)

पत्रांक : वि0नि0 / बजट / 508 / 1508 दिनांक : 4/9/201

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के कार्यालय आदेश संख्या विनि / ई0एस0 / 1163 दिनांक 30. जून, 2004 के द्वारा उपकरण एवं अन्य सामग्री के क्रय, कृषि उत्पादों के विक्रय एवं अग्रिम आहरण के संबंध में प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन किया गया था।

विश्वविद्यालय में क्रय किये जा रहे उपकरणों / सामग्री के संबंध में कुलपति महोदय द्वारा समीक्षा की गई तथा समीक्षा उपरान्त यह आदेश दिये गये हैं कि विश्वविद्यालय में ए0सी0, लैपटाप, फ्रिज तथा टी0वी0 का क्रय सीधे विभागीय स्तर पर नही किया जायेगा। उपर्युक्त उपकरण यथा ए0सी0, लैपटाप, फ्रिज तथा टी0वी0 का क्रय कुलपति जी के अनुमोदन के उपरान्त ही किया जाये।

उपकरण / सामग्री क्रय किये जाने संबंध में उपर्युक्त कार्यालय आदेश संख्या 1163 दिनांक 30 जून, 2004 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

नियंत्रक

प्रलिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :
1. समस्त अधिष्ठाता / निदेशक / विभागाध्यक्ष।
2. निदेशक अनुसंधान केन्द्र / निदेशक, प्रसार शिक्षा को इस आशय के साथ उपर्युक्त आदेश की प्रति अपने स्तर से समस्त शोध / प्रसार केन्द्रों को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
3. कुलपति जी के निजी सचिव को कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।

679
7-9-15
Acett

नियंत्रक

Stores Purchase

कार्यालय वित्त नियंत्रक
गोबिन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर
जिला– उधमसिंह नगर

पत्रांकः वि0नि0/बजट–उप0अधिप्राप्ति/292/1572

दिनांक : 15 सितम्बर, 2015

कार्यालय आदेश

सक्षम अधिकारी द्वारा केन्द्रीय क्रय समिति (सी0पी0सी0) की संस्तुतियों के सम्बन्ध में तत्काल प्रभाव से निम्न व्यवस्था किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की है :–

विश्वविद्यालय में जिन उपकरणों/सामग्री का क्रय, केन्द्रीय क्रय समिति (सी0पी0सी0) की संस्तुतियों के आधार पर किया जाता है, उक्त संस्तुतियों का अन्तिम अनुमोदन कुलपति स्तर से ही प्राप्त किया जाना अपेक्षित होगा। भविष्य में उपरोक्तानुसार अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही सम्बन्धित देयकों के भुगतान की कार्यवाही की जाये।

नियंत्रक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त अधिष्ठाता/ निदेशक/ विभागाध्यक्ष।
2. समस्त उप नियंत्रक/ लेखाधिकारी (भुगतान)।
3. प्रभारी अधिकारी, भण्डार क्रय।
4. प्रभारी अधिकारी, वि0वि0 वैब साइट (उक्त आदेश वैब साइट पर अपलोड हेतु)।
5. कुलपति जी के विशेष कार्याधिकारी को कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।

नियंत्रक

G.B. Pant Univ. of Ag. & Tech. Store Purchase Recd. No. 704 Dated 16/9/15 Pantnagar (Udhamsingh Nagar) U.P.

Acctt.

O/I Stores Purchase

C: 2015\mis

वित्त नियंत्रक कार्यालय
गो0ब0 पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पन्तनगर

पत्रॉक: वि0नि0 / बजट / 292 / 2135 दिनॉक: 17 दिसम्बर, 2015

कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय में अधिप्राप्ति प्रक्रिया को अधिकतम पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक तथा क्रय की कार्यवाही समयान्तर्गत पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में केन्द्रीय क्रय समिति के माध्यम से अधिप्राप्ति की प्रक्रिया निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :–

1. इन्डेंटर के क्रय प्रस्ताव पर सम्बन्धित अधिष्ठाता / निदेशक द्वारा उपकरण / सामग्री के Specification का निर्धारण नामित विषय–विशेषज्ञ समिति द्वारा कराया जायेगा। विषय–विशेषज्ञ समिति की संस्तुति का अनुमोदन सम्बन्धित अधिष्ठाता / निदेशक स्तर से किया जायेगा।
2. विशिष्टता (Specification) निर्धारित होने के उपरांत सम्बन्धित प्रस्ताव **केन्द्रीय क्रय समिति** के विचारार्थ भण्डार क्रय कार्यालय के माध्यम से प्रस्तुत किया जायेगा। केन्द्रीय क्रय समिति अधिप्राप्ति नियमावली के प्राविधानों एवं क्रय के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय स्तर से निर्गत अधिप्राप्ति विषयक परिपत्रों के आधार पर क्रय के प्रस्ताव पर अग्रेत्तर कार्यवाही करेगी।
3. केन्दीय क्रय समिति की समस्त संस्तुतियों पर **अंतिम अनुमोदन** हेतु पत्रावली नियंत्रक के माध्यम से कुलपति को प्रस्तुत की जायेगी, जिस पर कुलपति स्तर से अतिंम अनुमोदन प्रदान किया जायेगा।

अधिप्राप्ति प्रक्रिया के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या विनि / बजट / अधिप्राप्ति / 292 / 292 दिनांक 02.05.2015 के शेष प्राविधान यथावत लागू रहेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होंगे।

आज्ञा से,
कुलपति

प्रतिलिपि :–

1. समस्त अधिष्ठाता / निदेशक / विभागाध्यक्ष को उपर्युक्त आदेशों के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. अध्यक्ष, केन्द्रीय क्रय समिति।
3. प्रभारी अधिकारी, भण्डार क्रय।
4. उप नियंत्रक, बजट / भुगतान / फार्म / शोध।
5. कुलपति जी के विशेष कार्याधिकारी को कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।

G. B. Pant Univ. of Ag. & Tech.
Stores Purchase
Receipt 910
Dated 18/12/15

Acctt / AAO

नियंत्रक 17/12

OI Stores Purchase